17/23 पत्रावली पेश हुई तकमील प्रकरण दाखिल। तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक स्थान/1630/ सन 22 दिनांक 19.12.22 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार सहमति के लिये गये बंटवारे में विपक्षीगण ने रास्ते हेतु ख.नं. 2091/1072 रकबा 0.11 हे0 रास्ते के लिये छोड़ा गया था। जिसे आदिनोक को पक्का डामरीकृत सड़क बनाकर रास्ता मौके पर चल रहा है। एक पुश्तैनी रास्ते का प्रस्ताव बनाया गया था जिसमें ख.नं. 2185/1072 व 2187/1072 से ग.मु. रास्ते के लिए तहसील से दर्ज हो गई। अब उक्त भूमियों की तहसील से दर्ज ग.मु. रास्ते की किस्म को हटाकर बारानी द्वितीय एवं ख.नं. 2091/1072 की किस्म बारानी द्वितीय से हटाकर ग.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

रिपोर्ट तहसीलदार एवं पक्षकार उपस्थित हस्ताक्षरकर्ता के आधार पर आदेश स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौकर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम करासण तहसील व जिला चौकर की भूमि ख.नं. 2185/1072 रकबा 0.11 हे0 एवं ख.नं. 2187/1072 रकबा 0.11 हे0 की किस्म ग.मु. रास्ता के स्थान बारानी द्वितीय एवं ख.नं. 2091/1072 रकबा 0.11 हे0 की किस्म बारानी-2 के स्थान पर ग.मु. रास्ता दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार चौकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार दुरुस्ती की जावे। पत्रावली नियमानुसार होकर जाबता से जमा हो। सक्षम अधिकारी का आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीकर